<u>प्रेस नोट</u>

<u>पर्यटकों की सुरक्षा के मद्देनजर प्रशासन ने चलाया होटलों में सुरक्षा जॉच अभियान</u>

दीव :- 29/05/2018 :- दीव समाहर्ता श्री हेमंत कुमार की अगुवाई में दीव जिला प्रशासन ने पिछले दिनों होटलों में उपलब्ध सुरक्षा व्यवस्था की जॉच अभियान तथा गैर कानूनी रूप से चल रहे होटलों तथा गैर कानूनी गतिविधियों में लिप्त होटलों के खिलाफ भी जॉच चलाया है। इस अभियान में उप समाहर्ता, दीव पुलिस अधीक्षक अपने पूरे दल बल के साथ, मामलतदार, फायर विभाग आदि शामिल थे। अभियान के अंतर्गत उन होटलों की विशेष रूप से जॉच की गई जिनके पास लाइसेंस नहीं थे और जिन होटलों में सुरक्षा के मद्देनजर फायर सेफ्टी के उचित संसाधन मौजूद नहीं थे। जॉच के दौरान यह पाया गया कि रेशमा होटल, मीता बार एवं रेस्टॉरेंट के उपर की रेस्तॉरा तथा सम्राट होटल के सामने बिना नाम के होटल समुचित लाइसेंस के बगैर चलाये जा रहे थे, जिन्हें तत्काल प्रभाव से बंद करने के आदेश दे दिए गए। वहीं त्रिवेणी होटल में आईपीएल पर सट्टा लगाया जा रहा था जहॉ प्रशासन ने पुलिस की मदद से तत्काल कार्रवाई करते हुए बंद कराया। अभियान के अंतर्गत यह पाया गया कि सम्राट होटल, सीदा-दे दीव, गैलेक्सी होटल, दीव तथा नागवा में स्थित कोस्टामार होटल में अग्नि सुरक्षा के मानकों के अनुरूप उचित संसाधन मौजूद नहीं थे। सुरक्षा के नाम पर सम्राट होटल, सीदा-दे दीव, कोस्टामार होटल में पानी की प्लास्टीक एक पाइप लगी हुई है, जबकि गैलेक्सी होटल, दीव में लगे पाईप में खराबी थी, जो सुरक्षा की दृष्टि से पर्याप्त नहीं है । सम्राट होटल, सीदा-दे, दीव, कोस्टामार होटल, नागवा में अग्नि की सुरक्षा की दृष्टि से जो प्लास्टीक की पाईपें लगी थी उसे हटाकर उसकी जगह अग्नि सुरक्षा मानकों के अनुसार पाईप लगाने हेतु निर्देश दिए गए और यह आदेश दिया गया कि जबतक इन सुरक्षा संसाधनों को चुस्त दुरूस्त न कर लें तब-तक पर्यटकों की सुरक्षा की दृष्टि से होटल रूम बुक न करें। पर संबंधित होटल मालिकों ने उस पर उचित कार्रवाई नहीं की। इसी सिलसिले में गत 28 मई को फिर से जॉच की गई और यह पाया गया कि होटल मालिकों ने उस निर्देश / आदेश का पालन नहीं किया है। इस कारण से इन होटलों से पर्यटकों को खाली करवाने हेतु कार्रवाई की गई । कार्रवाई के दौरान सम्राट होटल, सीदा-दे, दीव तथा गैलेक्सी होटल के मालिकों ने प्रशासन का सहयोग करते हुए होटल को खाली करने का आश्वासन दिया जबकि कोस्टामार होटल के मालिक श्री कीरीट वाजा ने प्रशासन के संबंधित प्राधिकारी से इस दौरान उलझ गये। वे प्रशासन के खिलाफ अनर्गल बातें करने लगे और उपद्रव मचाने लगे। स्थिति को बिगड़ते देख और शांति बनाये रखने के मद्देनजर श्री कीरीट वाजा को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया। इस दौरान प्रशासन ने कोस्टामार होटल से पर्यटकों को खाली करवा कर उन्हें रहने के लिए आस-पास के होटल में व्यवस्था की और पर्यटकों को कोई तकलीफ न हो उसका पूरा पूरा ध्यान प्रशासन की तरफ से रखा गया। आस पास के सभी होटल मालिकों ने पर्यटकों को रूम मुहैया कराने में प्रशासन का भरपूर सहयोग किया।

सम्राट होटल तथा सीदा-दे, दीव द्वारा भी आदेश का पालन करते हुए होटल खाली कर दिया गया है और जबतक सुरक्षा मानकों पर खरे नहीं उतरते तबतक होटल मालिक ने होटल बुक न करने का आश्वासन दिया है। जबकि गैलेक्सी होटल, दीव ने प्रशासन के आदेश का अनुपालन कर लिया है।

चलाये गए जॉच अभियान के अंतर्गत प्राय: हर होटल मालिकों से प्रशासन को उचित सहयोग मिला, जबकि कोस्टामार होटल के मालिक इस दौरान नियम और कानून भंग करने लगे । जिस कारण से प्रशासन को उनके खिलाफ गिरफ्तारी जैसी कार्रवाई करनी पड़ी । गिरफ्तारी के पश्चात श्री कीरीट वाजा एवं 25 अन्य के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की अलग अलग धराओं के अंतर्गत एफआईआर दर्ज किया गया है।

ज्ञातव्य हो कि इससे से पूर्व भी प्रशासन द्वारा पर्यटकों की सुरक्षा तथा होटल में रूकने के दौरान किसी भी प्रकार के जानमाल की हानि या अप्रिय घटना न हो इसके लिए जॉच अभियान चलाया जा चुका है। गैर कानूनी रूप से चलनेवाले कई होटलों को बंद कराया गया है और पर्यटकों की सुरक्षा तथा होटल के लिए सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखते हुए प्रशासन द्वारा आगे भी इसी प्रकार की कार्रवाई की जाती रहेगी जिससे प्रशासन का नाम खराब न हो और पर्यटक की नजर में दीव एक सुरक्षित पर्यटक स्थल के रूप में गंतव्य स्थल बने ।